21.08.2018

पुकार पर अभियुक्त बशीर उपस्थित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को चार्ज के स्तर पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का भली– भॉति अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त बशीर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323,506भारतीय दंड संहिता व धारा–3(1)द व 3(2)(v-a) एस. सी.,एस.टी. एक्ट के तहत विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आरोप विरचित किया जाता है।

अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना साक्ष्य दिनॉक–07.09.2018 को प्रस्तुत करें।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,सोनभद्र।
उपस्थित– श्री संतोष कुमार गौतम (एच.जे.एस.),

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–7 / 2015

राज्य बनाम बशीर ।

धारा– 323,506 भारतीय दंड संहिता
व धारा–3(1)द व 3(2)(v-a) एस.सी.,एस.टी. एक्ट
थाना–दुद्धी, जिला–सोनभद्र।

<u>आरोप</u>

मैं संतोष कुमार गौतम,द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र आप अभियुक्तगण बशीर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः– यह कि दिनांक 16.04.2011 को समय 09.30 बजे प्रातः बहद् स्थान–बरवा टोला ग्राम आरंगपानी,थाना–दुद्धी, जिला सोनभद्र में आप तथा एक अन्य अभियुक्त ने वादी मुकदमा को यह जानते हुए भी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है,वादी को लाठी–डण्डा से स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित किया। ऐसा करके आप ने धारा–323 भारतीय दंड संहिता सपठित धारा–3(2)(v-a)एस.सी.,एस.टी के तहत दंडनीय अपराध किया है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान पर आप तथा एक अन्य अभियुक्त ने वादी को अनुसूचित जाति वर्ग का जानते हुए भी वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। ऐसा करके आप ने धारा–506 भारतीय दंड संहिता व सपठित धारा–3(2)(v-a)एस.सी.,एस.टी के तहत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप तथा एक अन्य अभियुक्त ने वादी मुकदमा, जो अनुसूचित जाति का सदस्य हैं, को अनुसूचित जाति का जानते हुये सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके साशय अपमानित किया। ऐसा करके आप ने धारा–3(1)द एस.सी.,एस.टी. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–21.08.2018

(संतोष कुमार गौतम)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनॉक–21.08.2018

(संतोष कुमार गौतम)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।